(c) The growth of deposits and advances of public sector banks in Tamil Nadu in last three years was higher in comparision with their performance at All-India level.

Constitution of Jammu and Kashmir

2986. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the Constitution of Jammu and Kashmir the expression 'Secular and Socialism' has not been mentioned as defined in the Constitution of India;

(b) whether it is also a fact that the expression 'Unity and Integrity' of the nation has also not been mentioned as defined in the Constitution of India;

(c) if so, whether it is due to Article 370 of the Constitution; and

(d) what steps Government have taken to get these words added to Jammu and Kashmir Constitution and with whats results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The expression, 'sovereign, socialist, secular, democracy, republic' has been introduced by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976 (brought into effect from 3-1-1977). According to the provisions of article 368 of the Union Constitution, as made applicable to the State of Jammu and Kashmir, any constitutional amendments brought out after 1950 can be made applicable to the State with the concurrence of the State Government and by an order of the President to be issued under article 370.

The Preamble to, as also section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, abundantly clarifies that the State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of Union of India.

(d) The matter has already been referred to the Government of Jammu and Kashmir. Presidential order under Article 370 to be issued on concurrence of the State Government.

भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत यूनियनें

2987. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक में कितनी यूनियनें कार्यरत हैं और इन यूनियनों की अलग-अलग सदस्य संख्या कितनी-कितनी है तथा इन्हें किन-किन आधार पर मान्यता प्रदान की गयी थी ;

(ख) इन यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गयी है और इसके लिए अन्य क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, क्या इन विभिन्न यूनियनों की सदस्यों की संख्या का समय-समय पर सत्यापन किया जाता है ; यदि हां, तो अन्तिम बार ऐसा सत्यापन कब किया गया था; और

(ग) इन यूनियनों तथा ऐसी अन्य यूनियनों के सदस्यों की संख्या का, जिन्हें अभी मान्यता दी जानी है, पुनः सत्यापन कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य-विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चार मान्यता प्राप्त यूनियन हैं--दो श्रेणी तीन व श्रेणी चार के कर्मचारियो का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा एक ग्रेड-ख तक के पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों का तथा शेष चौथी यूनियन अन्य अधिकारियों का प्रतिनधित्व करती है । इनके अलावा कुछ गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनें/एशोसियेशनें भी बैंक में कार्य कर रही हैं । श्रेणी तीन व श्रेणी चार के कमचारियों का प्रतिनधित्व करने वाली मान्यता प्राप्त कर्मकार यूनियनों की सदस्य संख्या 14,500 और 7,850 के लगभग बताई जाती है जबकि मान्यता प्राप्त अधिकारी एशोसिएशनों की सदस्य संख्या क्रमश: 3330 और 902 के लगभग है ।